

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ)-MMGSY-306/2020 / 1076

/पटना, दिनांक-11/9/20

प्रेषक,

संजय दूबे
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (सामान्य) मांग संख्या-37, मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0113, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विपत्र कोड-37-4515001030113) के अंतर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुसूचन कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (सामान्य) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य प्रनडल, पूर्णियाँ एवं अररिया के अधीन 03 (तीन) योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुसूचन कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित राशि का योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl. No.	Division	Category	Block	Name of Road	Sl. No. of State Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Purnea	GEN	Kasba	Part-A Bochgaw PMGSY Road Lathiya ke Nazdik to Girdan Muslim Tola	16	1.330	409	122.493
				Part-B (i) Construction of RCC Slab Bridge 4 cell x 7.0m x 3.0m with Approach Road=50m at CH-150m in Bochgaw PMGSY Road Lathiya ke Nazdik to Girdan Muslim Tola Road		31.00 m		213.954
				(ii) Construction of RCC Slab Bridge 3 cell x 7.0m x 3.0m with Approach Road=50m at CH-730m in Bochgaw PMGSY Road Lathiya ke Nazdik to Girdan Muslim Tola Road		23.40 m		178.299
				Total		1.484	409	514.746
2	Araria	GEN	Jokihat	Part-A Jokihat Islampur PWD Balua More to Esarwa Dhar Burdenga	66	1.220	2772	115.046
				Part-B Construction of RCC Bridge Span 5 x 18.75m with Approach Road = 148.55m at CH-600m in Jokihat Islampur PWD Balua More to Esarwa Dhar Burdenga Road		101.45 m		552.028 ✓
				Total		1.470	2772	667.074

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Sl. No of State Core Network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Part-A Lihari to Gangachi Tola		1.710		180.544
				Part-B (i) Construction of RCC Bridge Span 4 X 18.75m with Approach Road=88.84m at C11-310m in Lihari to Gangachi Tola Road	106	81.16 m	835	466.227
				(ii) Construction of RCC Bridge Span 3 X 18.75m with Approach Road=89.13m at C11-850m in Lihari to Gangachi Tola Road		60.87 m		363.426
				Total		2.030	835	1010.197
				Grand Total		4.984	4016	2192.017

2. माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी करना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
- इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।

- कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-44/2013 के पृष्ठ-74/टि० पर प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-01.09.2020 को संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-306/2020 के पृष्ठ-07/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।